

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2015/वैशाख 24, 1937

No. 129]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2015/VAISAKHA 24, 1937

आयुष मंत्रालय

अनुशेष

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2015

सं. जेड-28015/124/2014-पीएडंसी.—आयुष मंत्रालय से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए कार्य बल का गठन करने संबंधी दिनांक 4 मार्च, 2015 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अधिसूचना के पैरा-2 के अंतर्गत मद संख्या (ix) के बाद कार्य बल के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित मद संख्या (x) जोड़ी जाए :

“शिक्षा और अभ्यास के लिए योग व प्राकृतिक चिकित्सा के संवर्धन, विकास तथा विनियमन हेतु अधिमानित विकल्प पर विचार करने तथा सिफारिश करने के लिए।”

अनिल गनेरीवाला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYUSH

ADDENDUM

New Delhi, the 6th April, 2015

No. Z-28015/124/2014-P&C.—In partial modification to the Notification of even number, dated 4th March, 2015 constituting a Task Force to deliberate on various important issues concerning the Ministry of AYUSH, the following item No. (x) in the Terms of Reference of the Task Force may be added after item No.(ix) under para 2 of the said Notification:

“To deliberate and recommend the preferred option for promotion, development and regulation of Yoga & Naturopathy for education and practice.”

ANIL GANERIWALA, Jt. Secy.

2129 GI/2015